

**प्रारूप-छ (संलग्नक-6)****अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)**यूआईडी संख्या : **UPFS/2024/109483/BJN/BIJNOR/694/CFQ**दिनांक : **26-02-2024**

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **R D ACADEMY AT VILL SULTAN AAJAMPUR BANI GANESH TEHSIL NAGINA DISTT BIJNOR** पता -,**NAGINA TO RAIPUR ROAD,VILL SULTAN AAJAMPUR BANI GANESH** तहसील - **NAGINA** प्लॉट एरिया **8429.35 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **1527.66** (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - **1** जिसमें -

| ब्लॉक/टावर        | प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या | बेसमेन्ट की संख्या | ऊँचाई    |
|-------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| EDUCATIONAL BLOCK | 2                                 | 0                  | 7.30 mt. |

है। भवन का अधिभोग मेसर्स **R D ACADEMY AT VILL SULTAN AAJAMPUR BANI GANESH TEHSIL NAGINA DISTT BIJNOR** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक **28-02-2024** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **VIRENDRA KUMAR** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **29-02-2024** से **28-02-2027** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स **R D ACADEMY AT VILL SULTAN AAJAMPUR BANI GANESH TEHSIL NAGINA DISTT BIJNOR** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **R D ACADEMY AT VILL SULTAN AAJAMPUR BANI GANESH TEHSIL NAGINA DISTT BIJNOR** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।"

**Note :** FSSO नगीना की संस्तुति रिपोर्ट के अनुसार -उक्त सम्पूर्ण भवन वर्ष 2005 से पूर्व का निर्मित एवं वर्ष 2004 से मान्यता प्राप्त कर संचालित है। उक्त भवन को अग्निशमन अंतिम अनापत्ति प्रमाण पत्र शासनादेश संख्या-2688 / छ-पु -8 -2008 दिनांक 20 -11 -2008 तथा शासनादेश संख्या-18 /छ:-पु ० -8 -2022 / 905 -34 -201 टी ० सी० दिनांक 07 -01 -2022 में दी गयी ढांचागत एवं अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था में शिथिलीकरण एवं FSSO नगीना की संस्तुति रिपोर्ट के आधार पर निर्गत किया जाता है। उक्त भवन में मानकों के अनुसार अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था हर समय कार्यशील दशा में रखनी अनिवार्य होगी।



हस्ताक्षर - (डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

**AJAY KUMAR SHARMA**

A374EAC7B2755ED009D1F2B68F02126B261C8225

29-02-2024

निर्गत किये जाने का दिनांक : **29-02-2024**  
स्थान : **BIJNOR**

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.